



न्यायालय मानद राजस्व मण्डल, म० प्र० ग्वालियर

R 4401 - I - 16

प्रकरण क्रमांक - दो/2016 निगरानी

जगोले पुत्र दुल्ला रैकवार

मुत्थार आम

अरबिन्द पुत्र जगोले बैरवारवार

निवासी ग्राम जतारा, तहसील जतारा

जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश

---आवेदक

श्री. जी. पी. नयक एड०  
द्वारा आज दि 30-12-16 को  
प्रस्तुत

रजस्व मण्डल ग्वालियर  
30/12/16

0182  
30-12-16  
G.P. Nayak  
Mdw

विरुद्ध

- 1- म० प्र० शासन द्वारा कलेक्टर टीकमगढ़
- 2- तहसीलदार जतारा जिला टीकमगढ़ . ---अनावेदकगण
- 3- उप जेल अधीक्षक, टीकमगढ़

( श्रीमान तहसीलदार, जतारा जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 91 अ-12/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 19-6-2016 के विरुद्ध निगरानी अंतर्गत धारा 50, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 )

क०पृ०30-2

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- निगरानी-4401-एक/2016

जिला- टीकमगढ़

जगोले रैकवार व अन्य विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पदनाम अभिप्रेत हस्ताक्षर
12-03-2019	<ol style="list-style-type: none"><li>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</li><li>2. आवेदक की ओर से श्री जी.पी. नायक अभिनायक उपस्थित ।</li><li>3. यह निगरानी तहसीलदार, जतारा, जिला-टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 91/अ-12/2015-16 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 19-06-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।</li><li>4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरुद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है।</li><li>5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी जतारा को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 08-05-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये।</li></ol>	

3

(आर.के. जैन)  
सदस्य 12/03/19